के. किशन
बनाम
मैसर्स विजय निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
(2017 की सिविल अपील संख्या **21824)**
14 अगस्त **2018**
[आर.एफ. नरीमन और इंदु मल्होत्रा**,** न्यायाधीशगण **.]**

दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016: धारा 9 - एक परिचालन ऋण के संबंध में संहिता का आह्वान जहां परिचालन देनदार के खिलाफ एक माध्यस्थम अवार्ड पारित किया गया है जिस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है - प्रतिवादी के पक्ष में माध्यस्थम अवार्ड – संहिता की धारा 8 के अंतर्गत 10 दिनों के भीतर अवार्ड राशि का भुगतान करने के लिए केसीपीएल को नोटिस भेजा गया – केसीपीएल ने चालान पर विवाद किया और धारा 34 के अंतर्गत याचिका दायर की इसके बाद प्रतिवादी ने संहिता की धारा 9 के अंतर्गत याचिका दायर की - अभिनिर्धारित: संहिता के अंतर्गत जहां तक परिचालन ऋण का सवाल है, यह देखना होगा कि क्या उक्त ऋण को विवादित कहा जा सकता है- एक माध्यस्थम अवार्ड के खिलाफ धारा 34 याचिका से पता चलता है कि एक पहले से मौजूद विवाद जो एक अवार्ड में कार्यवाही के पहले चरण में समाप्त होता है, वह अवार्ड के बाद भी जारी रहता है, कम से कम जब तक धारा 34 और 37 के अंतर्गत अंतिम न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो जाती - परिचालन लेनदार दिवालिया संहिता का उपयोग समय से पहले या बाहरी विचारों के लिए या ऋण प्रवर्तन प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में नहीं कर सकते हैं - इस संहिता का उपयोग किसी राशि को निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है, भले ही यह अंततः देय न हो क्योंकि इसके संबंध में न्यायनिर्णयन कार्यवाही अभी भी लंबित है - संहिता का उद्देश्य, कम से कम जहां तक परिचालन लेनदारों का संबंध है, केवल स्पष्ट मामलों में कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को लागू करना है, जहां पार्टियों के बीच बकाया ऋण के बारे में कोई वास्तविक विवाद मौजूद नहीं है - संहिता के धारा 9(5) (ii) (डी) से पता चलता है कि धारा 8 के अंतर्गत एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए यदि विवाद की सूचना परिचालन ऋणदाता द्वारा प्राप्त हुई है - तत्काल मामले में, धारा के अंतर्गत नोटिस का पूरा आधार संहिता के धारा 8 में यह तथ्य था कि अपीलकर्ता के खिलाफ एक माध्यस्थम् अवार्ड पारित किया गया था और नोटिस का जवाब 10 दिनों के भीतर दिया गया था, जिससे विवाद का अस्तित्व बढ़ गया था - प्रतिदावे को माध्यस्थम् न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसे अस्वीकार भी किया गया था। धारा 34 याचिका में चुनौती का विषय - प्रतिदावा संख्या के विपरीत। 1 और 2, जिन्हें सबूतों की कमी के कारण एक माध्यस्थम् न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था | काउंटर क्लेम नंबर 3, जिसने भारी राशि जुटाई थी, को गुण-दोष के आधार पर मूल्य समायोजन खंड के आधार पर खारिज कर दिया गया था, इसलिए कार्यवाही के इस चरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि पार्टियों के बीच कोई विवाद मौजूद नहीं था।

दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016: धारा 238 गैर-अवरोधक क्लॉज- अभिनिर्धारित: संहिता की धारा 238 उस स्थिति में लागू होगी जब संहिता और माध्यस्थम अधिनियम के बीच कोई असंगतता है। वर्तमान मामले में, ऐसी कोई असंगति नहीं है। इसके विपरीत, माध्यस्थम अधिनियम के अंतर्गत पारित अवार्ड एक साथ दिया गया है। इसकी चुनौती के लिए उठाए गए कदमों से केवल यह स्पष्ट हो जाएगा कि परिचालन ऋण एक विवादित एक-अपीलीय न्यायाधिकरण है, जब उसने 2016 के नियमों के फॉर्म V भाग 5 पर भरोसा करते हुए कहा कि परिचालन ऋण, इसलिए कहा जाएगा। साबित हो चुका है, मोबिलॉक्स इनोवेशन मामले - माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के पैरा 34 में महत्वपूर्ण उप-खंड (iii) छूट गया है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार की

अभिनिर्धारित: 1. ऑपरेशनल लेनदार दिवालिया संहिता का उपयोग समय से पहले या बाहरी विचारों के लिए या ऋण प्रवर्तन प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में नहीं कर सकते हैं। दो लाख रुपये की एक छोटी राशि के लिए एक माध्यस्थम अवार्ड में शामिल परिचालन ऋण का खतरनाक परिणाम संभवतः किसी को खतरे में नहीं डाल सकता है वरना कई करोड़ रुपये की सॉल्वेंट कंपनी है. ऐसी कंपनी के पास यह कहने का अच्छा अधिकार होगा कि वह अपने खिलाफ पारित पंचाट अवार्ड को चुनौती दे रही है, और चुनौती का मात्र यह तथ्य बताने के लिए पर्याप्त होगा कि वह इस अवार्ड पर विवाद करती है। संहिता का उद्देश्य, कम से कम जहां

तक परिचालन ,लेनदारों का संबंध है, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को केवल स्पष्ट मामलों में डालना है, जहां पार्टियों के बीच बकाया ऋण के बारे में कोई वास्तविक विवाद मौजूद नहीं है। **[पैरा 13] 1969-जी-एच: 970-बी)**

- *मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम किरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड* ***(2018) 1*** *एससीसी* ***353*** - पर अवलंबित।
- *री ए कंपनी - विक्ट्री हाउस जनरल पार्टनर लिमिटेड बनाम आरजीबी पी एंड सी लिमिटेड* ***[2018]*** *ईडब्ल्यूएचसी* ***1143 (सीएच);*** *रे बेओइल एसए* ***[1999] 1*** *डब्लूएलआर* ***147;*** *लिम पोहयोह (उर्फ लिम एस्टर) एवं टीएस ओंग कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड* ***[2016]*** *एसजीएचसी* ***179;***
- *एलकेएम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कैथे थिएटर्स प्रायवेट लिमिटेड* ***[2000]*** *एसजीएचसी* ***13;***
- *रैमसे हेल्थ केयर ऑस्ट्रेलिया पी टी आई लिमिटेड बनाम एड्रियन जॉन कॉम्पटन* ***(2017)*** *एचसीए* ***28-*** *संदर्भित।*

2. संहिता के अंतर्गत, जहां तक परिचालन ऋण का संबंध है, यह देखा जाना चाहिए कि क्या उक्त ऋण को विवादित कहा जा सकता है और किसी माध्यस्थम अवार्ड के खिलाफ धारा 34 याचिका दायर करने से पता चलता है कि पहले से मौजूद ऋण जो विवाद किसी अवार्ड की कार्यवाही के पहले चरण में समाप्त होता है, वह अवार्ड के बाद भी जारी रहता है, कम से कम तब तक जब तक धारा 34 और 37 के अंतर्गत अंतिम न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो जाती। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एक माध्यस्थम अवार्ड को चुनौती देने वाली धारा 34 की याचिका साफ एवं स्पष्ट रूप से परिसीमा से वर्जित हो सकती है, जिसमें अदालत को यह दिखाया जा सकता है कि 90 दिनों की अवधि और 30 दिनों की विवेकाधीन अवधि स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई है, जिसके बाद या तो धारा 34 के अंतर्गत कोई याचिका दायर नहीं की गई है या धारा 34 के अंतर्गत देरी से याचिका दायर की गई है। केवल ऐसे स्पष्ट मामलों में ही दिवालिया प्रक्रिया को अमल में लाया जा सकता है। ऐसे अन्य मामले भी हो सकते हैं जहां धारा 34 की याचिका गलत अदालत में स्थापित की गई हो, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता धारा में निर्धारित सीमा की बाधा से छुटकारा पाने के लिए सीमा अधिनियम की धारा 14 के आवेदन का दावा कर सकता है। माध्यस्थम अधिनियम की धारा 34(3)। ऐसे मामलों में भी, यह स्पष्ट है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता पर निर्णय के बिना दिवालिया प्रक्रिया को अमल में नहीं लाया जा सकता है। [पैरा 18, 19,20]

3. अपीलीय न्यायाधिकरण ने संहिता की धारा 238 का संदर्भ देने में गलती की थी। अपीलीय न्यायाधिकरण, जब उसने यह बताने के लिए 2016 के नियमों के फॉर्म V भाग 5 पर भरोसा किया कि परिचालन ऋण साबित हो गया है, तो मोबिलॉक्स इनोवेशन मामले के पैरा 34 में महत्वपूर्ण उप-खंड (iii) से चूक गया। भले ही यह स्पष्ट हो कि परिचालन ऋण का रिकॉर्ड है, यह महत्वपूर्ण है कि उक्त ऋण विवादित न हो। यदि मोबिलॉक्स इनोवेशन मामले में निर्धारित मापदंडों के भीतर विवाद होता है, तो दिवालिया याचिका पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती। [पैरा 22, 23]

केस कानून संदर्भ

(2018) 1 एससीसी 353 निर्भरता पैरा 3

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2017 की सिविल अपील संख्या 21824

कंपनी अपील (एटी) (दिवालियापन) में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय ट्राइब्सनल के दिनांक 20.11.2017 के निर्णय और आदेश क्रमांक 211 से

साथ में सीए संख्या 21825/2017

गौरव बनर्जी, सीनियर अधिवक्ता, सुशांत रेड्डी, गौतम सिंह, एस. पी मुखर्जी, राका चटर्जी, मोहित पांडे, साहिल टैगोत्रा, सुश्री मनीषा सिंह, श्रीमती डी. भारती रेड्डी, हर्ष पिचरा, सुश्री. प्रियंका त्यागी, अधिवक्ता गण अपीलकर्ता की ओर से

डॉ पी. वी. अमरनाधा प्रसाद, संजय कुमार छेत्री, विजयश्री पटनायक, सादिनेनी रवि कुमार, अधिवक्ता गण प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

आर. एफ. नरीमन, न्यायाधीश 1. वर्तमान अपीलें एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं कि क्या दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) को एक परिचालन ऋण के संबंध में लागू किया जा सकता है जहां एक माध्यस्थम अवार्ड दिया गया है परिचालन देनदार के विरुद्ध पारित किया गया, जिस पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

2. वर्तमान विवाद को समझने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:-

i) वर्तमान मामले में, मेसर्स विजय निर्माण कंपनी प्रा. लिमिटेड (प्रतिवादी) ने मेसर्स क्षीराबाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (संक्षिप्त केसीपीएल के लिए) के साथ 01.02.2008 को, एनएच 67 पर किलोमीटर 190000 से किलोमीटर 218215 तक मौजूदा दो लेन राजमार्ग के निर्माण और चार लेन तक चौड़ीकरण के खंड 2 के 50% कार्य को करने के लिए, कुल 28.215 किलोमीटर की दूरी तक कार्य करने के लिए एक उप-अनुबंध समझौता किया।

ii) इस समझौते के अलावा, उक्त केपीसीएल और एक मेसर्स एसडीएम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के बीच उसी तारीख का एक अलग समझौता किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, 09.05.2008 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन केसीपीएल, मेसर्स एसडीएम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं प्रतिवादी के बीच दर्ज किया गया था।

iii) परियोजना के दौरान, पार्टियों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए और उन्हें एक माध्यस्थम न्यायाधिकरण में भेजा गया। जिसका अवार्ड 21.01.2017 में पारित हुआ। उक्त अवार्ड द्वारा स्वीकृत दावों में से एक दावा प्रतिवादी के पक्ष में 1,71,98,302/- की राशि का था ,में भुगतान की उच्च दरों से संबंधित एक अन्य भुगतान प्रमाण पत्र शामिल है एक अन्य दावा जिसे भुगतान की उच्च दरों से संबंधित अनुमति दी गई थी जिसमें रु 13,56,98,624/- का अवार्ड दिया गया | वहीं प्रतिवादी द्वारा किए गए 3 क्रॉस दावों को खारिज कर दिया गया |

iv) यह नोट करना प्रासंगिक है कि, इस स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा केसीपीएल को 1,700,166 की राशि का भुगतान करने के लिए दिनांक 06.02.2017 को एक नोटिस भेजा गया था। यह नोटिस कोड की धारा 8 के अंतर्गत एक नोटिस है। 10 दिनों के भीतर दिनांक 16.02.2017 के पत्र में, केसीपीएल ने उक्त नोटिस में संदर्भित चालान पर विवाद किया, जिसमें कहा गया कि उक्त अनुबंध वास्तव में माध्यस्थम ता कार्यवाही का विषय था, और केसीपीएल के अनुसार प्रतिवादी उन्हें बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

v) गौरतलब है कि नोटिस और जवाब के बाद 20.04.2017 को केसीपीएल द्वारा धारा 34 के अंतर्गत याचिका दायर की गई थी। माध्यस्थम ता और सुलह अधिनियम, 1996 (बाद में इसे "अधिनियम के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत उपरोक्त अवार्ड को चुनौती देते हुए यह याचिका अधिनियम की धारा 34(3) में निर्धारित सीमा अवधि के भीतर दायर की गई थी।

vi) इसके बाद ही 14.07.2017 को ई कोड की धारा 9 के अंतर्गत एक याचिका दायर की गई। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ('एनसीएलटी') में प्रस्तुत मामले का सार स्पष्ट रूप से इस प्रकार बताया गया था:

> "उपरोक्त राशि को अन्य दावों के साथ 17.8.2014 को विधिवत गठित माध्यस्थम न्यायाधिकरण के समक्ष दायर दावों के विवरण में शामिल किया गया था। ट्रिब्यूनल ने 21.1.2017 एफ को अपना फैसला सुनाया और वीएनसीपीएल के उपरोक्त दावे, और उपरोक्त राशि को वीएनसीपीएल के पक्ष में और केसीपीएल के विरोध में बरकरार रखा (अवार्ड की प्रति संलग्न है)
>
> इस प्रकार, उपरोक्त राशि कॉर्पोरेट देनदार मेसर्स केसीपीएल द्वारा भुगतान किया जाने वाला 'परिचालन ऋण' बन गई है। जैसा कि I & B कोड 2016 का 3(11) में परिभाषित किया गया है।
>
> फॉर्म-3 अंडर सेक्शन 8(1) में एक नोटिस। I&B कोड 2016 पहले ही कॉर्पोरेट डेबिटर, मेसर्स केसीपीएल पर तामील किया गया है और केसीपीएल से प्राप्त विवरण भी तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न है।"

एनसीएलटी के समक्ष जवाबी हलफनामे में यह कहा गया था:

> "10. मैं सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि याचिकाकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि चूंकि यहां माध्यस्थम ता कार्यवाही में प्रतिवादी के खिलाफ एक अवार्ड पारित किया गया है, हालांकि माध्यस्थम ता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत एक याचिका दायर की गई है अवार्ड को चुनौती देने वाले सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी का वर्तमान आवेदन संहिता की धारा 9 के अंतर्गत विचारणीय है, हालांकि प्रतिवादी ने आवेदक द्वारा धारा 8 (2)के अंतर्गत जारी नोटिस पर दिनांक 06-02-2017 और 05-06-2017 को अपने जवाब में विवाद उठाया था।
>
> 11.1 मैं सम्मानपूर्वक प्रस्तुत करता हूं कि वर्तमान आवेदन दायर होने से पहले ही प्रतिवादी कंपनी द्वारा माध्यस्थम ता कार्यवाही में एक प्रतिदावे के माध्यम से एक विवाद उठाया गया था और वर्तमान में यह माननीय वाणिज्यिक न्यायालय सह XXIV अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष अंडर सेक्शन 34 के अंतर्गत विचाराधीन है। । समक्ष दायर और लंबित धारा 34 आवेदन की प्रति अनुबंध आर-6 के रूप में संलग्न है।"

vii) एनसीएलटी ने अपने आदेश दिनांक 29.08.2017 द्वारा, उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया, और इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि जिस अवार्ड को विद्वान वकील द्वारा धारा 34 के अंतर्गत चुनौती दी गई थी, उसमें विशेष रूप से कहा गया था कि पहले प्रतिवादी (यानी कॉर्पोरेट देनदार) के यह स्वीकार करना काफी उचित था कि दावेदार रु. 1,71,98,302/- की उक्त राशि का हकदार है। एनसीएलटी के अनुसार, तथ्य यह है कि धारा 34 की याचिका लंबित एवं अप्रासंगिक थी क्योंकि दावा स्वीकार कर लिया गया था, और अवार्ड पर कोई रोक नहीं थी। इसलिए, इन कारणों से, धारा 9 याचिका स्वीकार कर ली गई।

viii) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की गई अपील का भी यही हश्र हुआ, क्योंकि अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुसार, संहिता की धारा 238 में निहित गैर-अवरोधक खंड माध्यस्थम ता अधिनियम को खत्म कर देगा। इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुसार चूंकि दिवालिया और दिवालियापन (निर्णयन प्राधिकारी के लिए आवेदन) नियम, 2016 के भाग 5 के फॉर्म V में डिफ़ॉल्ट पर निर्णय देने वाले माध्यस्थम पैनल के आदेश के विवरण की आवश्यकता होती है, इसे इस प्रकार माना जाएगा "एक परिचालन ऋण का रिकॉर्ड", जिसके परिणामस्वरूप याचिका को स्वीकार करना होगा एच को एनसीएलटी द्वारा सही ढंग से किया गया था। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

3. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव बनर्जी ने मोबिलॉक्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम किरूसा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, (2018) 1 एससीसी 353 में हमारे फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया है और तर्क दिया है कि वस्तु संहिता माध्यस्थम ता अधिनियम, 1996 सहित अन्य अधिनियमों के अंतर्गत ऋण निर्णय और प्रवर्तन को प्रतिस्थापित नहीं करती है। उन्होंने, विशेष रूप से, पैरा 51 पर भरोसा किया है, जिसके अंतर्गत , उनके अनुसार, जिस क्षण पार्टियों के बीच कोई वास्तविक विवाद होता है, जो कोई "सच्चा विवाद" होना आवश्यक नहीं है जिसके कानून की दृष्टि से सफल होने की संभावना हो, दिवालिया संहिता लागू नहीं की जा सकती। वर्तमान मामले में, उनके अनुसार, यह तथ्य कि धारा 34 की याचिका लंबित है, पार्टियों के बीच एक वास्तविक विवाद को प्रतिबिंबित करता है, जो पहले से मौजूद था, और जो एक माध्यस्थम अवार्ड में परिणत हुआ, जिसे ने अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है। साथ ही, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, विद्वान माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा खारिज किए गए क्रॉस-दावे उनके मुवक्किल के खिलाफ दी गई राशि से कहीं अधिक थे, और यदि उनमें से किसी को भी गलत तरीके से खारिज किया जाना था, विशेष रूप से, प्रतिदावा संख्या 3. में रुपये 19,88,20,475/- यह स्पष्ट है कि उनके ग्राहक को परिचालन ऋणदाता को कोई धनराशि नहीं देनी होगी। उन्होंने कुछ निर्णयों पर भी भरोसा किया, जिन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अपनी दलीलों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने तर्क दिया कि यह आवश्यक है कि किसी न किसी रूप में विवाद हो जिसमें परिचालन ऋणदाता के खिलाफ कॉर्पोरेट देनदार द्वारा किए गए क्रॉस दावे शामिल हों। उनके अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण संहिता की धारा 238 को लागू करने में पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि श्री बनर्जी के अनुसार, माध्यस्थम ता अधिनियम के अंतर्गत न्यायनिर्णयन और प्रवर्तन प्रक्रिया और धारा 8 और 9 के आवेदन के बीच कुछ भी असंगत नहीं है। वास्तव में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, लंबित कार्यवाहियों का तथ्य, चाहे वे किसी अवार्ड में परिणत होने वाली कार्यवाही हों, या उसके बाद चुनौती की कार्यवाही हों, वास्तव में, यह दर्शाएगा कि एक परिचालन ऋण के रूप

में एक विवाद है जिसे बताया गया है बकाया होना चाहिए, और इसलिए, इस उद्देश्य के लिए माध्यस्थम ता अधिनियम पर भरोसा किया जा सकता है, इसमें और संहिता के बीच कुछ भी असंगत नहीं है।

4. डॉ. पी.वी. अमरनाथ प्रसाद प्रतिवादीकी ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में तर्क दिया कि कानून के अनुसार यूनाइटेड किंगडम, और उसके अंतर्गत अभ्यास निर्देश, एक दिवालियापन किसी आवेदन को रद्द करने के कारण प्रक्रिया बाधित नहीं होती है निर्णय, आदेश या निर्णय किसी अपील या अन्यथा लंबित है। उन्होंने सिंगापुर के कानून का भी हवाला दिया और कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया जिसमे एक बार यह पाया गया कि पार्टियों के बीच एक प्राथमिक निर्णय जो ऋण के अस्तित्व को इंगित करता है, कोई भी आगे का विवाद जो अपील में या अन्यथा ऋण पर लंबित हो सकता है, उसे देनदार द्वारा विवादित नहीं कहा जा सकता है उनके अनुसार, अपीलीय न्यायाधिकरण संहिता की धारा 238 को लागू करने में बिल्कुल सही था, क्योंकि संहिता के आवेदन और धारा 34 की कार्यवाही के बीच एक सीधी असंगतता होगी, जिसे लंबित बताया गया था, और जो, उनके अनुसार, जिस कानून का उन्होंने हवाला दिया है, उसे देखते हुए यह प्रासंगिक नहीं था।

5. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, सबसे पहले संहिता की धारा 9(5) पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है:-

> "9(5) निर्णायक प्राधिकारी, उप-धारा (2) के अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर, एक आदेश द्वारा- (i) आवेदन स्वीकार करेगा और परिचालन ऋणदाता और कॉर्पोरेट देनदार को ऐसे निर्णय के बारे में सूचित करेगा यदि
>
> (ए) उप-धारा (2) के अंतर्गत किया गया आवेदन पूरा हो गया है:
> (बी) अवैतनिक परिचालन ऋण का कोई पुनर्भुगतान नहीं है;
> (सी) कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस परिचालन ऋणदाता द्वारा वितरित किया गया है,
> (डी) परिचालन ऋणदाता को विवाद की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है; और
> (ई) उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रस्तावित किसी भी समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।
> (ii) आवेदन को अस्वीकार करें और ऐसे निर्णय की सूचना परिचालन ऋणदाता और कॉर्पोरेट देनदार को दें, यदि-
> (ए) उप-धारा (2) के अंतर्गत किया गया आवेदन अधूरा है;
> (बी) अवैतनिक परिचालन ऋण का पुनर्भुगतान हो गया है;
> (सी) लेनदार ने कॉर्पोरेट देनदार को भुगतान के लिए चालान या नोटिस नहीं दिया है,
> (डी) विवाद की सूचना परिचालन ऋणदाता को प्राप्त हुई है या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है, या
> (ई) किसी भी प्रस्तावित समाधान पेशेवर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है:
> बशर्ते कि निर्णायक प्राधिकारी, खंड (ii) के उप-खंड (ए) के अंतर्गत किसी आवेदन को खारिज करने से पहले आवेदक को एक नोटिस देगा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी से ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर अपने आवेदन में त्रुटि को सुधारना होगा:"

धारा 9(5)(ii)(डी) को पढ़ने से पता चलता है कि यदि परिचालन ऋणदाता द्वारा विवाद की सूचना प्राप्त हुई है तो धारा 8 के अंतर्गत एक आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 8 के अंतर्गत नोटिस का पूरा आधार यह तथ्य है कि अपीलकर्ता के खिलाफ 21.07.2017 को एक माध्यस्थम अवार्ड पारित किया गया था। जैसा कि हमने बताया है, यह दिवालिया याचिका के साथ दायर किए गए मामले के सार से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तथ्य यह है कि धारा 8 के अंतर्गत दिए गए नोटिस का जवाब 16.02.2017 को 10 दिनों के भीतर दिया गया था, और विवाद के अस्तित्व पर भी संदेह नहीं किया जा सकता है।

6. हालाँकि, प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने इस तथ्य पर दृढ़ता से भरोसा किया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं है क्योंकि 1.71 करोड़ रुपये की राशि जो प्रदान की गई थी, उसे श्री बनर्जी के ग्राहक ने माध्यस्थम कार्यवाही में

स्वीकार किया था कि ऋण बकाया है, और ऐसा होने पर, इसके संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। हमें डर है कि हम सहमत नहीं हो पा रहे हैं. जैसा कि श्री बनर्जी ने सही ढंग से बताया था, इससे कहीं अधिक राशि के प्रतिदावों को विद्वान माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया था, जो अस्वीकृति अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत एक याचिका में चुनौती का विषय भी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि काउंटर क्लेम नंबर 1 और 2 के विपरीत, जिन्हें सबूतों की कमी के कारण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया था, काउंटर क्लेम नंबर 3 जिसकी राशि रु. 19,88,20,475/- को गुण-दोष के आधार पर मूल्य समायोजन खंड के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कार्यवाही के चरण में, पार्टियों के बीच कोई विवाद नहीं होगा।

7. ***मोबिलॉक्स इनोवेशन (पूर्वोक्त)*** में हमारा हालिया निर्णय मौजूदा मुद्दे पर काफी प्रकाश डालता है। संहिता के विधायी इतिहास का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के दिवालिया कानून पर विधायी गाइड का उल्लेख किया। विधायी गाइड ने जिन चीजों के बारे में बात की उनमें से एक यह थी कि क्या ऋण किसी वैध विवाद या ऋण की राशि के बराबर या उससे अधिक राशि में सेट-ऑफ के अधीन है। उक्त के बारे में एक और बात कही गई थी कि ऐसे मामलों में दिवालिया प्रक्रिया का अनुचित उपयोग होगा यदि एक लेनदार ऋण के लिए अनुपयुक्त विकल्प के रूप में दिवालियेपन का उपयोग करता है प्रवर्तन प्रक्रियाएँ, भले ही वे अच्छी तरह से विकसित न हों। (निर्णय का पैरा 13 देखें)

8. दिवालिया संहिता के विधेयक से जुड़े खंडों पर नोट्स को इस न्यायालय द्वारा फैसले के पैरा 27 में भी संदर्भित किया गया था। खण्डों पर इन नोट्स में महत्वपूर्ण वाक्य को पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जो यहां नीचे दिया गया है:

> "यह सुनिश्चित करता है कि परिचालन ऋणदाता, जिनके ऋण दावे आमतौर पर छोटे होते हैं, कॉर्पोरेट देनदार को समय से पहले दिवालिया समाधान प्रक्रिया में डालने में सक्षम नहीं होते हैं या बाहरी विचारों के लिए प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाते हैं।"

9. इस न्यायालय ने यह भी देखा कि मूल विधेयक जो अंततः संहिता बन गया, उसमें समावेशी परिभाषा में "सदभावी विवाद" की अभिव्यक्ति शामिल थी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब संहिता लागू की गई तब तक "सदभावी" अभिव्यक्ति को हटा दिया गया था। (निर्णय का पैरा 32 देखें)

10. धारा 8 का उल्लेख करने के बाद, फैसले में यह अभिनिर्धारित कि जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि विवाद और/या मुकदमे या माध्यस्थम ता कार्यवाही का अस्तित्व पहले से मौजूद होना चाहिए यानी यह मांग नोटिस या चालान की प्राप्ति से पहले मौजूद होना चाहिए |

11. इसलिए, निर्णायक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किसी आवेदन की जांच करते समय निम्नलिखित निर्धारित करना होगा: -

> (i) क्या परिभाषा के अनुसार 1 लाख रुपये से अधिक का कोई "परिचालन ऋण" है? (अधिनियम की धारा 4 देखें)
> (ii) क्या आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से पता चलता है कि उपरोक्त ऋण देय है और अभी तक भुगतान नहीं किया गया है?
> (iii) क्या ऐसे विवाद के संबंध में अवैतनिक परिचालन ऋण की मांग नोटिस की प्राप्ति से पहले दायर किए गए किसी मुकदमे या माध्यस्थम ता कार्यवाही के लंबित होने का रिकॉर्ड पार्टियों के बीच मौजूद है?

यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी एक की भी कमी है तो आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। उपरोक्त के अलावा, निर्णायक प्राधिकारी को धारा 9 के आदेश का पालन करना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, और विशेष रूप से अधिनियम की धारा 9(5) के आदेश का पालन करना चाहिए, और आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए, जैसा भी मामला हो, निर्भर करता है। अधिनियम की धारा 9(5) में उल्लिखित कारक। (पैरा 34)

12. पैरा 38 में, इस न्यायालय ने चेतावनी दी:

"हमने यह भी देखा है कि परिचालन ऋणों के लिए संहिता का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे ऋणों की राशि, जो आमतौर पर वित्तीय ऋणों की तुलना में छोटी होती है, परिचालन लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार को दिवालिया समाधान में डालने में सक्षम नहीं बनाती है। समय से पहले प्रक्रिया करें या बाहरी विचारों के लिए प्रक्रिया शुरू करें। यही कारण है कि यह पर्याप्त है कि पार्टियों के बीच विवाद मौजूद है।

अंत में, कानून को इस प्रकार संक्षेपित किया गया: -

"**51**. इसलिए, यह स्पष्ट है कि एक बार जब परिचालन ऋणदाता ने एक आवेदन दायर किया है, जो अन्यथा पूर्ण है, तो विवाद की सूचना प्राप्त होने पर न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को धारा 9 (5) (2) (डी) के अंतर्गत आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए। परिचालन ऋणदाता या सूचना उपयोगिता में विवाद का रिकॉर्ड है। यह स्पष्ट है कि इस तरह के नोटिस को परिचालन ऋणदाता के ध्यान में किसी विवाद के "अस्तित्व" या तथ्य को लाना चाहिए कि विवाद से संबंधित एक मुकदमा या माध्यस्थम ता कार्यवाही पार्टियों के बीच लंबित है। इसलिए, निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को इस स्तर पर यह देखना है कि क्या कोई संभावित विवाद है जिसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है और यह कि "विवाद" स्पष्ट रूप से कमजोर कानूनी तर्क या साक्ष्य द्वारा असमर्थित तथ्य का दावा नहीं है। भूसे के ढेर से अन्न निकालना और नकली बचाव को अस्वीकार करना महत्वपूर्ण है जो महज दिखावा है। हालाँकि, ऐसा करने में, न्यायालय को संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है कि बचाव सफल होने की संभावना है। न्यायालय इस स्तर पर ऊपर बताई गई सीमा को छोड़कर विवाद के गुण-दोष की जांच नहीं करता है। जब तक कोई विवाद वास्तव में एफ में मौजूद है और नकली, काल्पनिक या भ्रामक नहीं है, तब तक निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को आवेदन को अस्वीकार करना होगा।"

13. इस निर्णय के बाद, यह स्पष्ट हो जाता है कि परिचालन ऋणदाता इन्सॉल्वेंसी कोड का उपयोग समय से पहले या अनावश्यक विचारों के लिए या ऋण प्रवर्तन जी प्रक्रियाओं के विकल्प के रूप में नहीं कर सकते हैं। दो लाख रुपये की एक छोटी राशि के लिए एक माध्यस्थम अवार्ड में शामिल परिचालन ऋण का खतरनाक परिणाम संभवतः कई करोड़ रुपये की अन्यथा विलायक कंपनी को खतरे में नहीं डाल सकता है। ऐसी कंपनी के पास यह कहने का अधिकार होगा कि वह अपने खिलाफ पारित पंचाट अवार्ड को चुनौती दे रही है, और चुनौती का मात्र तथ्य यह बताने के लिए पर्याप्त होगा कि वह इस अवार्ड पर विवाद करती है यह मामला स्पष्ट रूप से मैबिलॉक्स इनोवेशन (पूर्वोक्त) के पैरा 38 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह पार्टियों के बीच पहले से चल रहे विवाद का मामला है। इस संहिता का उपयोग आतंक में रुपये की इस राशि को निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है। दो लाख, भले ही यह अंततः देय न हो क्योंकि इसके संबंध में न्यायनिर्णयन की कार्यवाही अभी भी लंबित है। हम दोहराते हैं कि संहिता का उद्देश्य, कम से कम जहां तक परिचालन लेनदारों का संबंध है, कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को केवल स्पष्ट मामलों में डालना है, जहां पार्टियों के बीच बकाया ऋण के बारे में कोई वास्तविक विवाद मौजूद नहीं है।

14. श्री बनर्जी ने हमें अंग्रेजी और सिंगापुर न्यायालयों के कुछ निर्णयों का उल्लेख किया। ***रे ए कंपनी विक्ट्री हाउस जनरल पार्टनर लिमिटेड बनाम आरजीबी पी एंड सी लिमिटेड [2018] ईडब्ल्यूएचसी 1143 (सीएच),*** उच्च न्यायालय के चांसरी डिवीजन में, ऐसी स्थिति में जहां ऋण को "सदभावपूर्ण" विवादित होना पड़ता है। यूके में न्यायालयों के समापन क्षेत्राधिकार को आकर्षित करने के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे मामले में भी जहां एक निर्णय ऋण अब विवादित ऋण नहीं है, क्योंकि इस पर अंततः फैसला सुनाया गया है, फिर भी यदि कोई क्रॉस-दावा है जिस पर फैसला सुनाया जा रहा है, या जो शायद न्यायनिर्णयन प्रक्रिया तक पहुंचा ही नहीं है, समापन आदेश को टालने के लिए पर्याप्त होगा। विद्वान न्यायाधीश ने रे बायोइल एसए [1999] डब्लूएलआर 147 में फैसले का हवाला दिया और निष्कर्ष निकाला गया:-

"27. निःसंदेह, यह विवादित ऋण का मामला नहीं है। एक निर्णय ऋण है और इसे तुरंत लागू किया जा सकता है। हालांकि, श्री चिवर्स रे बायोइल एसए [1999] 1 डब्लूएलआर 147 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो इससे संबंधित है ऐसा मामला जिसमें विवादित ऋण शामिल नहीं है, लेकिन कंपनी द्वारा क्रॉस-क्लेम शामिल है, याचिका का विषय या इच्छित याचिका, जहां क्रॉस-क्लेम की राशि याचिका ऋण से अधिक है। रे बायोइल का हेडनोट आवश्यक तथ्यों को बताता है। याचिकाकर्ता ने माल ढुलाई के लिए दावा किया। स्थापित कानून यह है कि माल ढुलाई के दावे के संबंध में सेट-ऑफ का कोई बचाव उपलब्ध नहीं है। दावा माध्यस्थम ता के पास गया और मध्यस्थों ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने फिर एक याचिका प्रस्तुत की माध्यस्थम ता अवार्ड द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर। कंपनी ने याचिका को इस आधार पर खारिज करने या रोक लगाने के लिए आवेदन किया था कि उसके पास याचिका ऋण से अधिक राशि में वास्तविक और गंभीर प्रतिदावा था। यह विस्तार से बताया गया था वह मामला, जिसे कंपनी ने

अपने मामले को आगे बढ़ाने के लिए रखा था, वह मुकदमा करने में सक्षम नहीं थी वह प्रतिदावा रे बायोइल पर चर्चा करने वाले बाद के मामलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिदावे पर मुकदमा चलाने की क्षमता या असमर्थता इस मामले में सिद्धांत का सार नहीं है। इसलिए मैंने उसे एक तरफ रख दिया

"32. इसलिए मुझे यह पूछना है कि क्या नवजात क्रॉस-दावा, क्षतिपूर्ति का दावा जो मिस्टरचिवर्स ने मुझे समझाया है, पर्याप्त आधारों पर एक वास्तविक क्रॉस-दावा है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक वास्तविक दावा है। मैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ठोस आधार पर है। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि यह एक दावा है जो सफल होगा लेकिन मुझे इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है..."

"34. मैंने जो कुछ भी कहा है वह किसी भी तरह से दिए गए फैसले के सी बाध्यकारी चरित्र से अलग नहीं होता है। यह कहना एक मजबूत बात प्रतीत हो सकती है कि नियोक्ता, अपने खिलाफ फैसले का पालन करने में विफल रहा है, उसे ऐसा करना चाहिए फिर भी समापन में शामिल परिणामों से बचिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही वह चीज़ है जिसे बायोइल मामले में उचित अभिनिर्धारित था और, इस मामले के तथ्यों पर, मैं यह भी मानता हूं कि डी यह एक अधिक उचित परिणाम है याचिकाकर्ता ने जिस विकल्प का विरोध किया है।"

15. ***लिम पोहयोह (उर्फ लिम एस्टर) और टीएस ओंग कंस्ट्रक्शन पीटीई लिमिटेड [2016] एसजीएचसी 179*** में शामिल सिंगापुर उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले का भी श्री बनर्जी ने उल्लेख किया था। फिर, ऐसी स्थिति में जहां दिवालिया कानून लागू नहीं होने से पहले कहीं अधिक ऊंची सीमा को पार करना पड़ता है, सिंगापुर उच्च न्यायालय ने दिवालियापन अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के नियम 98(2)(ए) का उल्लेख किया। उक्त नियम में कहा गया है कि जहां किसी देनदार के पास वैध प्रतिदावा या क्रॉस-डिमांड है जो ऋण की राशि के बराबर या उससे अधिक है, तो ऐसे देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया नहीं की जाएगी। इसमें इसी आशय के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। (उक्त निर्णय के पैरा 43 और 45 देखें)

16. अब हम प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा संदर्भित कुछ निर्णयों पर आते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूके के फैसले और सिंगापुर उच्च न्यायालय के फैसले में संदर्भित प्रैक्टिस दिशा-निर्देश, ***एलकेएम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड बनाम कैथे थियेटर्स पीटीई लिमिटेड [2000] एसजीएचसी 13,*** उन स्थितियों में हैं जहां ऋण का वास्तविक विवाद होना आवश्यक है, जो कि हमारी संहिता के अंतर्गत स्थिति नहीं है। इस कारण विद्वान परामर्शदाता से सहमत होना संभव नहीं है प्रतिवादी ने कहा कि किसी अवार्ड या डिक्री को चुनौती देने वाली लंबित कार्यवाही किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय का आदेश उसमें निहित ऋण को विवादित ऋण नहीं बनाएगा।

17. ***रैमसे हेल्थ केयर ऑस्ट्रेलिया पीटीआई लिमिटेड बनाम एड्रियन जॉन कॉम्पटन [2017] एचसीए 28*** में प्रतिवादी द्वारा ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया था, उसके पैरा 111 में को दिखाने के लिए भरोसा किया गया था कि जहां एक निर्णय ऋण प्राप्त किया गया है प्रतिकूल मुकदमेबाजी में गुणों के परीक्षण के बाद, धोखाधड़ी, मिलीभगत, या न्याय के दुरुपयोग के कुछ सबूतों की अनुपस्थिति में, दिवालियापन क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाली अदालत के पास शायद ही कभी यह जांच करने के लिए पर्याप्त कारण होंगे कि फैसले में जो ऋण सामने आया वह वास्तव में बकाया था या नहीं। ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के संबंध में, हम केवल यह कह सकते हैं कि मोबिलॉक्स इनोवेशन (पूर्वोक्त) के बाद, ऑस्ट्रेलियाई कानून को हमारे कानून में शामिल करना बहुत मुश्किल होगा। इसका कारण यह है कि मोबिलॉक्स इनोवेशन (पूर्वोक्त) में हमारे फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दिवालिया प्रक्रिया, विशेष रूप से परिचालन लेनदारों के संबंध में, अन्य क़ानूनों में निहित डी ऋण की न्यायिक और प्रवर्तन प्रक्रिया को बायपास करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमारा विचार है कि ऑस्ट्रेलियाई उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित धोखाधड़ी, मिलीभगत, या न्याय के दुरुपयोग की उच्च सीमा का हमारे संहिता के अंतर्गत स्थिति पर कोई लागू नहीं होगा।

18. हम जोर देकर दोहराते हैं कि हमारे कोड के अंतर्गत, जहां तक परिचालन ऋण का संबंध है, यह देखना होगा कि क्या उक्त ऋण को विवादित कहा जा सकता है, और हमें यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि माध्यस्थम ता अवार्ड के खिलाफ धारा 34 याचिका से पता चलता है कि पहले से मौजूद विवाद जो एक अवार्ड में कार्यवाही के पहले चरण में समाप्त होता है, कम से कम धारा 34 और 37 के अंतर्गत अंतिम न्यायिक प्रक्रिया होने तक वह अवार्ड के बाद भी जारी रहता है ।

19. हम यह बताने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां एक माध्यस्थम ता अवार्ड को चुनौती देने वाली धारा 34 की याचिका स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से सीमा से वर्जित हो सकती है, जिसमें अदालत को यह

दिखाया जा सकता है कि 90 दिनों की अवधि और विवेकाधीन अवधि 30 दिनों की अवधि स्पष्ट रूप से समाप्त हो गई है, जिसके बाद या तो धारा 34 के अंतर्गत कोई याचिका दायर नहीं की गई है या धारा 34 के अंतर्गत विलंबित याचिका दायर की गई है। केवल ऐसे स्पष्ट मामलों में ही दिवालिया प्रक्रिया को अमल में लाया जा सकता है।

20. हम यह बताने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि ऐसे अन्य मामले भी हो सकते हैं जहां धारा 34 की याचिका गलत अदालत में दायर की गई हो, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता परिसीमा अधिनियम की धारा 14 में निर्धारित परिसीमा की सीमा से बाहर निकलने के लिए माध्यस्थम ता अधिनियम की धारा 34(3) के अंतर्गत आवेदन कर सकता है | ऐसे मामलों में भी, यह स्पष्ट है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 14 की प्रयोज्यता पर निर्णय के बिना दिवालिया प्रक्रिया को अमल में नहीं लाया जा सकता है।

21. प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति के संबंध में, कि 1.71 करोड़ रुपये की राशि श्री बनर्जी के ग्राहक द्वारा स्वीकार की गई थी, जैसा कि माध्यस्थम अवार्ड में दर्ज किया गया था, यह उक्त के लिए पर्याप्त है कि रकम का क्रॉस-दावा बहुत अधिक है इससे ऊपर की राशि को माध्यस्थम न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, जो उक्त अवार्ड को चुनौती देने वाली धारा 34 याचिका में लंबित हैं। तथ्य यह है कि ऐसी संभावना है कि श्री बनर्जी का ग्राहक इन क्रॉस-दावों पर सफल हो सकता है, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वर्तमान मामले में परिचालन ऋण को निर्विवाद ऋण नहीं कहा जा सकता है।

22. हम श्री बनर्जी की इस दलील को भी स्वीकार करते हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने संहिता की धारा 238 का संदर्भ देकर गलती की थी। यदि वर्तमान मामले में संहिता और माध्यस्थम ता अधिनियम के बीच कोई विसंगति है तो संहिता की धारा 238 लागू होगी। हमें ऐसी कोई असंगति नहीं दिखती. इसके विपरीत, माध्यस्थम ता अधिनियम के अंतर्गत पारित अवार्ड और इसकी चुनौती के लिए उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान मामले में परिचालन ऋण एक विवादित है।

23. हमारा यह भी विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण, जब उसने यह बताने के लिए 2016 के नियमों के फॉर्म V भाग 5 पर भरोसा किया कि परिचालन ऋण साबित हो गया है, तो वह मोबिलॉक्स इनोवेशन (पूर्वोक्त) के पैरा 34 में उप-खंड (iii) से चूक गया । भले ही यह स्पष्ट हो कि परिचालन ऋण का रिकॉर्ड है, यह महत्वपूर्ण है कि उक्त ऋण विवादित न हो। यदि मोबिलॉक्स इनोवेशन (पूर्वोक्त) में निर्धारित मापदंडों के भीतर विवाद होता है, तो दिवालिया याचिका को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

24. इन सभी कारणों से, हमारा विचार है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द करने की जरूरत है और इसलिए इसे उलट दिया गया है।

25. तदनुसार, उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

26. परिणामस्वरूप, हमारे दिनांक 15.12.2017 के आदेश के अनुसार प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी समाप्त हो गई है।

देविका गुजराल अपील स्वीकार की गई

Shri Padmesh Shah
Additional Director, MPSJA